

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1551 /अका./स.स./2003

रायपुर, दिनांक 20 सितंबर, 2003

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की शनिवार, दिनांक 20.09.2003 को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित आपातिक बैठक का कार्यवृत्त :-

उपस्थित सदस्य :

1.	प्रो. बी.पी. चन्द्रा, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. एम.एल. नायक	-	सदस्य
3.	डॉ. ओ.पी. वर्मा	-	सदस्य
4.	डॉ. (श्रीमती) गीता तिवारी	-	सदस्य
5.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	-	सदस्य
6.	डॉ. डी.के. कटारिया	-	सदस्य
7.	डॉ. आर.सी. मेहरोत्रा	-	सदस्य
8.	श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर	-	सदस्य
9.	पं. रामसुन्दर दास महन्त	-	सदस्य
10.	श्री सुब्रतो साहू (आई.ए.एस.)	-	सदस्य
11.	श्री ए. मिंज, कुलसचिव	-	सचिव

विषय क्रमांक 1.

विश्वविद्यालय अध्ययन शालाओं में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसाओं पर विचार करना।

निर्णय :

चयन समितियों की अनुशंसाओं पर निम्नलिखित आचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याता के पद पर चयन को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया :-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 (1) के तहत चयनित आचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याताओं के नामों की सूची :

क्र.	नाम	वर्ग	विषय	पद
01.	डॉ. केशरी लाल वर्मा	अनारक्षित	भाषा विज्ञान	आचार्य
02.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	अनारक्षित	अर्थशास्त्र	आचार्य
03.	डॉ. पी.बी. चन्द्राकर	अनारक्षित	तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन शास्त्र	आचार्य
04.	डॉ. लक्ष्मी शंकर निगम	अनारक्षित	प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व	आचार्य
05.	डॉ. के.एस. पटेल	अनारक्षित	रसायन शास्त्र	आचार्य
06.	डॉ. आर.सी. अग्रवाल	अनारक्षित	भौतिक शास्त्र	आचार्य
07.	डॉ. आर.एन. बघेल	अ.पि.व.	भैतिक शास्त्र	उपाचार्य
08.	डॉ. रोहित कुमार प्रधान	अ.पि.व.	जैविकी	उपाचार्य

9.	डॉ. शैलेष कुमार जाधव	अ.जा.	जैविकी	उपाचार्य
10.	डॉ. रविन्द्र कुमार ब्रह्मे	अ.जा.	अर्थशास्त्र	उपाचार्य
11.	डॉ. मनीष कुमार राय	अ.ज.जा.	रसायन शास्त्र	उपाचार्य
12.	डॉ. शम्श-परवेज़	अनारक्षित	रसायन शास्त्र	उपाचार्य
13.	डॉ. किशन लाल तिवारी	अनारक्षित	बायोटेक्नालॉजी	उपाचार्य
14.	डॉ. (कु.) गायत्री शर्मा	अनारक्षित	तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन शास्त्र	उपाचार्य
15.	डॉ. संजय तिवारी	अनारक्षित	इलेक्ट्रानिक्स	उपाचार्य
16.	श्री निस्तार कुजुर	अ.ज.जा.	समाजशास्त्र	व्याख्याता
17.	श्री लुकेश्वर सिंह गजपाल	अ.पि.व.	समाजशास्त्र	व्याख्याता
18.	कु. हेमलता बोरकर	अ.जा.	समाजशास्त्र	व्याख्याता
19.	डॉ. जवाहर लाल तिवारी	अनारक्षित	समाजशास्त्र	व्याख्याता
20.	डॉ. (श्रीमती) उमा गोले	अ.जा.	भूगोल	व्याख्याता
21.	डॉ. (कु.) आमिया तिकी	अ.ज.जा.	जैविकी	व्याख्याता
22.	डॉ. आरती चन्द्रवंशी	अनारक्षित	जैविकी	व्याख्याता
23.	डॉ. केशव कान्त साहू	अनारक्षित	जैविकी	व्याख्याता
24.	डॉ. बलवन्त सिंह ठाकुर	अनारक्षित	गणित	व्याख्याता
25.	डॉ. भेख लाल सोनेकर	अ.जा.	अर्थशास्त्र	व्याख्याता

डॉ. बी.पी. चन्द्राकर एवं डॉ. किशनलाल तिवारी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार-विमर्श करते समय क्रमशः श्री भागवत चन्द्राकर एवं डॉ. गीता तिवारी, सदस्य कार्यपरिषद, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

कैरियर एडव्हांसमेन्ट स्कीम के तहत चयनित आचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याताओं के नामों की सूची :

क्र.	नाम	विभाग	पद
01.	श्री जे.एल. गहरे	तुलनात्मक धर्म एवं दर्शनशास्त्र	व्याख्याता (सलेक्शन ग्रेड)
02.	डॉ. (श्रीमती) कविता ठाकुर	इलेक्ट्रानिक्स	उपाचार्य
03.	डॉ. (श्रीमती) प्रियम्बदा श्रीवास्तव	मनोविज्ञान	उपाचार्य
04.	डॉ. (श्रीमती) प्रभावती शुक्ला	मनोविज्ञान	उपाचार्य
05.	डॉ. एम.के. देव	रसायन शास्त्र	उपाचार्य

टीप : क्रमांक 01 एवं 03 में नामित शिक्षकों को दिसंबर 2004 तक एक और रिफ्रेशर कोर्स करना होगा ।

विषय क्रमांक 2.

विश्वविद्यालय क्रीड़ा समिति की दिनांक 28.08.2003 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय :

सर्वसम्मति से क्रीड़ा परिषद के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान किया ।

विषय क्रमांक 3.

विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केन्द्र को इंप्रेस्ट आबंटित करने की प्रशासकीय स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय :

विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केन्द्र को रुपये 500=00 का इंप्रेस्ट की राशि स्वीकृत किया ।

विषय क्रमांक 4.

विश्वविद्यालय आवास में निवासरत कर्मचारियों को 200=00 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता पूर्ववत् प्रदान करने की स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय :

इस प्रकरण को विश्वविद्यालय समन्वय समिति की स्थाई समिति के विचारार्थ भेजने का निर्णय लिया ।

विषय क्रमांक 5.

एक मिनी बस क्र. सी.जी-04 - जेड डी 1276 तथा दो एम्बेसेडर कार क्र. एम.पी. 23, डब्ल्यू - 1346 तथा क्र. सी.जी. 04 - जेड डी - 0210 का अपलेखन कर एक नई मिनी बस/टाटा 407 और एक कार क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव ।

निर्णय :

उपरोक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया तथा नये वाहन क्रय करने की अनुमति की गई ।

विषय क्रमांक 6.

श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई में नियमित प्राचार्य नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर डॉ. प्रशांत कुमार शुक्ला को प्राचार्य के पद पर नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करना ।
द्विगंत

निर्णय :

श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई में नियमित प्राचार्य नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर डॉ. प्रशांत कुमार शुक्ला को प्राचार्य पद पर नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया ।

विषय क्रमांक 7.

सत्र 2003-2004 के बजट में स्पोर्ट्स एवं टूर्नामेंट्स विधा के आयोजन हेतु मद में रखी गई रुपये 30 लाख की राशि में से 03 लाख रुपये की राशि खेल उपकरण क्रय मद में अन्तर्मदीय हस्तान्तरण करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय :

सत्र 2003-2004 के बजट में स्पोर्ट्स एवं टूर्नामेंट्स विधा के आयोजन हेतु मद में रखी गई रुपये 30 लाख की राशि में से 03 लाख रुपये की राशि खेल उपकरण क्रय मद में अन्तर्मदीय हस्तान्तरण करने को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया । नियमानुसार क्रय समिति से अनुमोदन कर क्रय करें ।

विषय क्रमांक 8.

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई एवं 6 सितम्बर, 2003 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय :

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई एवं 6 सितम्बर, 2003 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

विषय क्रमांक 9.

अध्यादेश क्रमांक 91 जो कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, की कंडिका 21 में संशोधन करने के प्रकरण पर विचार करना।


निर्णय :

अध्यादेश का विद्यमान प्रावधान 5	अध्यादेश का प्रस्तावित प्रावधान 6	प्रस्ताव का औचित्य 7
Para 21- There shall not be any revaluation in case of internal assesment, field work, project Report and Theory Papers.	Para 21- There shall not be any revaluation in case of internal assesment, field work and project Report.	विभिन्न पाठ्यक्रमों में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था है। अतः इस पाठ्यक्रम के छात्रों को भी इसका लाभ दिया जाना प्रस्तावित।

उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन को समन्वय समिति के अनुमोदनार्थ भेजने का निर्णय लिया।

कुलसचिव ने सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की समाप्ति की

घोषणा की।


कुलसचिव


कुलसचिव

पृ. क्र. 1552/अका./2003

रायपुर, दिनांक 20 सितंबर, 2003

प्रतिलिपि :


01. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
03. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
04. डॉ. एस. सराफ, फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
05. डॉ. अमीरचंद जैन, शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगाँव,
06. डॉ. एम.एल. नायक, आचार्य, बायो-साइंस अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
07. डॉ. ओ.पी. वर्मा, आचार्य, क्षेत्रीय अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

वृत्त को

08. प्रो. आर.सी. मेहरोत्रा, रायपुर,
 09. श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग,
 10. पं. रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर,
 11. डॉ. (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर,
 12. डॉ. (श्रीमती) माया अरोरा, प्राचार्य, शास. महाविद्यालय, दुर्ग,
 13. श्री रामलाल भारद्वाज, विधायक (पलारी क्षेत्र), बी-4, अयोध्या अपार्टमेंट, रायपुर,
 14. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक, देशबन्धु, रायपुर,
 15. डॉ. डी.के. कटारिया, शास. आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर,
 16. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
 17. वित्त अधिकारी/आवासीय अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

वृत्त को

21 गे


कुलसचिव

वृत्त को

103